-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम महोखर के रहने वाले एक विपिन नामक एक युवक का अवैध तमंचे से साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा संज्ञान में लेते हुए अभियुक्त को उसके घर के गिरफ्तार किया गया तथा कड़ाई से पूछताछ करते हुए उसकी निशादेही पर उसके अर्धनिर्मित मकान से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। बता दें कि अभियुक्त ने वर्ष 2023 में अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की थी। जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और वर्तमान में वह जमानत पर बाहर था।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विपिन पुत्र शत्रुघन निवासी महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 75/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विपिन उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 48/23 धारा 302/34 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष कोतवाली देहात श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
2. उ0नि0 श्री दुर्विजय सिंह
3. हे0कां0 नीरज यादव
4. कां0 रवि कुमार
5. म0कां0 सोनाली गौतम